

प्रश्न सं. [क. 2083]
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

पारिशिष्ट - "अ"

क्रमांक/एफ 3-3/2020/25-2/812
प्रति.

भोपाल, दिनांक 24-11-2020

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 कन्या शिक्षा परिसर की स्थापना
विषयक।

संदर्भ: आपकी यू.ओ टीप क 20755 दिनांक 23.11.2020।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-03-1/2016/25-2/1273 दिनांक 24/07/2017 के द्वारा 80 कन्या शिक्षा परिसरों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन स्वीकृत कन्या शिक्षा परिसरों के अलावा पूर्ववर्ती स्वीकृत 02 कन्या परिसरों कुल 82 कन्या शिक्षा परिसरों में से 78 कन्या शिक्षा परिसरों का संचालन किया जा रहा है तथा शेष 04 कन्या शिक्षा परिसर भोपाल, इंदौर, अमरपुर तथा मण्डई में असंचालित हैं।

2. इन संचालित 78 कन्या शिक्षा परिसरों में से कुल 24 कन्या शिक्षा परिसर में एकलव्य आदर्श विद्यालयों का संचालन होने से वर्तमान में मात्र 54 कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं।

3. उपरोक्त असंचालित 04 कन्या शिक्षा परिसरों में से इंदौर एवं भोपाल का स्थल पूर्वानुसार यथावत रखते हुए तथा शेष 02 असंचालित कन्या शिक्षा परिसर एवं 24 एकलव्य आवासीय विद्यालयों में परिवर्तित कन्या शिक्षा परिसरों के स्थल परिवर्तन कर इस प्रकार कुल 28 कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना (संचालन) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।


| क्र | जिले का नाम | विकाराखण्ड/पंचायत के नाम |
|-----|-------------|--------------------------|
| 1 | बेतुल | धोडाडागरी |
| 2 | बेतुल | आठनेर |
| 3 | खरगोन | भोकनपाथ |
| 4 | सहडोल | गाहपाल |
| 5 | सहडोल | जयसिंहनगर |
| 6 | धार | नालडा |
| 7 | धार | नितारपुर |
| 8 | बालाघाट | दिरसा |
| 9 | सिवनी | खखनादीन |
| 10 | सिवनी | छपारा |
| 11 | बड़वानी | ठिकरी |

AD(H)

21
24/11

| | | |
|----|---------------------|-------------------------|
| 12 | अनूपपुर | कांतमा |
| 13 | मंडला | नैनपुर |
| 14 | डिण्डीरी | समनापुर |
| 15 | सतना | सीहावाल |
| 16 | उमरिया | मानपुर |
| 17 | खडवा (पूर्वी निमाड) | पंधाना |
| 18 | देवास | वागली |
| 19 | छिन्दवाडा | पारासिया |
| 20 | धार | चदनावर |
| 21 | खडवा (पूर्वी निमाड) | पूनासा |
| 22 | बैतूल | आमला |
| 23 | सागर | कंसली |
| 24 | सीहोर | लडकुई |
| 25 | रीवा | रीवा (संभाग मुख्यालय) |
| 26 | जबलपुर | जबलपुर (संभाग मुख्यालय) |
| 27 | भोपाल | भोपाल |
| 28 | इंदौर | इंदौर |

उक्त समस्त संस्थाएं मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेण्डियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) अंतर्गत संचालित होगी।



(डॉ. सुषमा शर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग


भोपाल, दिनांक 22/11/2020

पृ. क्रमांक/एफ 3-3/2020/25-2/813

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. कलेक्टर, जिला--भोपाल, इन्दौर, बैतूल, खरगोन, शहडोल, धार, बालाघाट, सिवनी, बड़वानी, अनूपपुर, मंडला, डिण्डीरी, सतना, उमरिया, देवास, छिन्दवाडा, खडवा, सागर, सीहोर, रीवा, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
5. संभागीय उपायुक्त, आदिवासी विकास एवं अनुसूचित जाति विकास भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन, शहडोल, सागर, रीवा, मध्यप्रदेश।
6. सहायक, आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल, इन्दौर, बैतूल, खरगोन, शहडोल, धार, बालाघाट, सिवनी, बड़वानी, अनूपपुर, मंडला, डिण्डीरी, उमरिया, छिन्दवाडा, खडवा, सागर, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

7. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, सतना, देवास, सीहोर एवं शीवा मध्यप्रदेश।
8. कोषालय अधिकारी जिला- भोपाल, इंदौर, बैतूल, खरगोन, शहडोल, धार, बालाघाट, सिवनी, बड़वानी, अनूपपुर, मंडला, डिण्डौरी, सतना, उमरिया, देवास, छिन्दवाडा, खंडवा, सागर, सीहोर, शीवा, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
9. आयुक्त काष एवं लेखा संचालनालय पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आशयक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग